छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–07 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21 / 04 / 2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / 115–900 / 874, दिनांक 05.04.2023।

––00––

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 4 में चेक लिस्ट में निर्धारित कंडिका 4 अनुसार गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रदाय किया जाना है, किन्तु उसके स्थान पर वन क्षेत्र विवरण प्रदाय किया गया है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 21 से 24 तथा पृष्ठ क्रमांक 79 से 84 में निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा अपनी अनुशंसा भाग–2 में प्रदाय की गई है उक्त भाग–2 के अनुक्रमांक 10 में आवेदित स्थल को राष्ट्रीय उद्यान का भाग नही होना दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव में अन्यत्र लेख किया गया है कि, प्रस्तावित स्थल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 77 से 78 में निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा अपनी अनुशंसा प्रपत्र–3 में प्रदाय की गई है। उक्त प्रपत्र–3 के अनुक्रमांक 10 में आवेदित स्थल को राष्ट्रीय उद्यान का भाग नही होना दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव में अन्यत्र लेख है कि, प्रस्तावित स्थल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।
4. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 42 तथा प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 130 अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नही होना लेख है। प्रस्ताव में आवेदित वन क्षेत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के प्रशासनिक नियंत्रण का स्थल है, ऐसी स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से प्रस्तावित सड़क निर्माण के फलस्वरुप क्षेत्र के वन्यप्राणियों के निर्बाध आवागमन की दृष्टिकोण से Conservation Measures की जानकारी के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

क्रमशः 2

5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 125 में प्रत्याशा मूल्य का गणना पत्रक लगाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 3 मे उल्लेखित तालिका अनुसार राष्ट्रीय उद्यान में आवेदित क्षेत्र हेतु 10 गुना प्रत्याशा मूल्य लिया जाना है। तदनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार गणना पत्रक को संशोधित कर प्रेषित करें।

2/– अतः आदेशानुसार निवेदन है कि, कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर वांछित जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

K.C.Rajput 21.4.23

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–07/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
6. कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

K.C.Rajput

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

o/c

D/FCA/ Latter-N/Lalit